पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :-श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 95/2025

1 अमेन्द्र सिंह पुत्र हाकमसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. हाकमसिंह पुत्र तोतासिंह
2. परमजीत कौर पुत्री हाकमसिंह

जाति कुम्हार सिख निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमगढ़।

3. मनजीत कौर पुत्री हाकमसिंह पत्नी शेरसिंह जाति कुम्हारसिख निवासी वार्ड नं0 14, ऐलनाबाद तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा ।

प्रतिवादीगण

डिक्री दिनांक 4/6/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री करनैल सिंह व प्रतिवादी वकील महावीर वर्मा अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चक नं0 3 आर. डबल्यू डी के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 68 में कुल 2.480 है0 में से 133/2480 हिस्सा आराजी तथा चक नं० 1 ए. जी. के खाता सं0 57/52 में कुल 5.856 है0 आराजी में से प्रतिवादी सं0 1 का 1/14 हिस्सा आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नं० 3 आर. डबल्यू डी के खाता सं0 68 तथा चक नं० 1 ए. जी. के खाता सं0 57/52 में से प्रतिवादी सं0 1 हाकमसिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिए जाते है तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 4/6/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी।

Scanned with CamScanner